न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गंगापुर जिला भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी– विकास पंचोली (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 88/2019 प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट

अनवान

1. रईस मोहम्मद पिता मुस्ताक मोहम्मद मंसूरी
2. मोईनुदीन पिता रफीक मोहम्मद मंसूरी

निवासी रेलमगरा तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द।

——प्रार्थीगण

बनाम

1. प्यारा पिता दल्ला खारोल
2. गिरधारी पिता दल्ला खारोल
3. चम्पा पिता दल्ला खारोल
4. रमेश पिता कल्ला खारोल
5. मांगु पिता किशना खारोल
6. चेना पिता गोकल खारोल
7. भूरा पिता गोकल खारोल
8. केला पिता दल्ला खारोल
9. नारायणी पत्नी शंकरलाल खारोल
10. सजनी देवी पत्नी सोजीराम बंजारा
11. भेरा पिता माधु खारोल

सर्व निवासी टपरियाखेड़ी तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।

——विपक्षीगण

:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 ::

निर्णय दिनांकः– 04/10/2019

:: आदेश ::

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के तहत विपक्षीगण के विरूद्व प्रस्तुत कर ग्राम टपरियाखेडी पटवार हल्का सातलियास तहसील सहाड़ा के बैरून हल्का आबादी मे प्रार्थी के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 1/1 रकबा 0.13 हे0 2/1 रकबा 0.47 हे0, 18 रकबा 0.44 हे0 17 रकबा 0.25 हे0, 16/1 रकबा 0.51 हे0 कुल किता 05 कुल रकबा 1.80 हे0 भूमि राजस्व खाता संख्या 30 पर स्थित हैं। भूमि प्रार्थी के खातेदारी अधिकार की है जिसकी जमाबन्दी सम्वत् 2072 से 2075 संलग्न हैं। प्रार्थी द्वारा उक्त भूमि सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढी किये जाने की इस्तदुआ की।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। विपक्षीगण को विधिवत सूचना पत्र जारी किया जाकर सूचित किया गया। विपक्षीसंख्या 1 लगायत 11 बावजूद सूचना के अनुपस्थित, अतः एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गये। प्रार्थना [illegible]

बाद सुनवाई मैने प्रार्थना पत्र का अवलो[illegible] क[illegible] गहन मनन किया। प्रार्थना पत्र के अवलोकन व गहन मनन के प्रार्थनापत्र [illegible] एल0आर0एक्ट को स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल.[illegible] एक्ट स्वीकार किया ज[illegible]एवं ग्राम टपरियाखेडी पटवार हल्का सातलियास तहसील सहाड़ा के बैरून हल्का आबादी मे प्रार्थी के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 1/1 रकबा 0.13 हे0 2/1 रकबा 0.47 हे0, 18 रकबा

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.01.05 15:55:42 IST
Reason: SelfAttested

क्रमश....

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर जिला भीलवाड़ा

प्रकरण संख्या :– 88/2019
प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट

0.44 हे0 17 रकबा 0.25 हे0, 16/1 रकबा 0.51 हे0 कुल किता 05 कुल रकबा 1.80 हे0 भूमि स्थित है। भूमियों का बसामलात पक्षकारान के पत्थरगढ़ी की जाने के आदेश किये जाते हैं, **उक्त भूमि में दोनों पक्षों की उपस्थिति में किसी को बिना बेदखली एवं बिना किसी के कब्जे काश्त में दखलान्दाजी किये पत्थरगढ़ी की जावें। यदि पत्थरगढी के उपरान्त किसी का प्रतिकूल कब्जा पाया जाता हैं तो धारा 183 आर.टी.ए. के तहत वाद पेश करने के लिए पाबंद किया जावें।** प्रार्थी बतौर पत्थरगढी शुल्क राशि 800/– (अक्षरे आठ सौ रूपये मात्र) राजकोष में जमा करावें तथा पत्थरगढी की कमिश्नर फीस राशि राशि 800/– (अक्षरे आठ सौ रूपये मात्र) सम्बन्धित भु–अभिलेख निरीक्षक को मौके पर प्रार्थी अदा करें। पालनार्थ तहसीलदार सहाड़ा मु0 गंगापुर को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 04/10/2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी गंगापुर जिला-भीलवाड़ा (राज.)

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर जिला भीलवाड़ा
उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर(भीलवाड़ा)

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.01.05 15:55:42 IST
Reason: SelfAttested